

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-24/2020(जीसीएमएस नम्बर 2020/00033)

1. हरिकिशन पुत्र हरिया जाति मीना, निवासी नयागांव, तहसील महवा जिला दौसा, राजस्थान

—अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य सरकार जरिये नायब तहसीलदार, तहसील महवा, जिला दौसा, राजस्थान।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थिति:-

1. श्री सतीश पारीक एडवोकेट अपीलार्थी की ओर से

निर्णय

दिनांक 12.06.2024

अपीलार्थी द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के तहत पेश की गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा ने पटवारी हल्का की निहायत ही झूठी रिपोर्ट के आधार पर वाके ग्राम नयागांव तहसील महवा में स्थित राजकीय भूमि खसरा नम्बर 113 गैर मु. रास्ता में 28X8 मीटर में पक्का कमरा, पक्का डण्डा बनाकर अतिक्रमण मानकर बिना कोई जांच किये किये तथा अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत का अवसर दिये बिना व पटवारी हल्का से जिरह का अवसर दिये बिना व बिना कोई स्वतंत्र साक्ष्य लिए दिनांक 24.01.2017 को 16/-रूपये की शास्ती व पक्का कमरा व पक्का डण्डा से बेदखली का अदेश पारित कर दिया जिसके विरुद्ध अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा के समक्ष अपील पेश की जिस अपील को अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2017 को विधि विरुद्ध तरीके से खारिज कर दी गई, जो आदेश विधि विरुद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार महवा ने अपने निर्णय में जो अतिक्रमण मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है, वह पक्का निर्माण किसी भी सरकारी भूमि अथवा खसरा नम्बर 113 पर नहीं है बल्कि अपीलान्ट की अपनी खातेदारी व कब्जे काशत की भूमि खसरा नम्बर 151 में किया गया है। इसके सम्बन्ध में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब भी प्रस्तुत कर दिया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर किये बिना तथा बिना कोई जांच कराये ही पटवारी हल्का रिपोर्ट को ही सही मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

अतिरिक्त  
जयपुर

P.T.O.

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया कि है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्त के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट अतिक्रमण रिपोर्ट बनाकर प्रस्तुत की है क्योंकि अपीलान्त ने ग्राम नयागांव के ही रामनाथ पुत्र हरचन्दा मीना के विरुद्ध आम रास्ता की भूमि खसरा नम्बर 447 पर अवैध अतिक्रमण करने की शिकायत कर रखी है व अपीलान्त व रामनाथ के बीच धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का केस भी कोर्ट में चल रहा है तथा पटवारी हल्का रामनाथ का रिश्तेदार है जो रामनाथ के साले का लड़का है। इसलिये रामनाथ के कहने पर पटवारी हल्का ने अपीलान्त के विरुद्ध सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट बनाई थी। अपीलान्त को पटवारी हल्का से जिरह का मौका भी नहीं दिया गया। अपीलान्त द्वारा रामनाथ की शिकायत रास्ता की भूमि पर अतिक्रमण की करने के कारण ही रामनाथ ने पटवारी हल्का से अपीलान्त के विरुद्ध अतिक्रमण की झूठी रिपोर्ट करवाई जबकि अपीलान्त का उक्त निर्माण अपनी खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 151 में अपने पिता व दादा के समय से लगभग 40 वर्ष पुराना है परन्तु इन सभी तथ्यों को इग्नोर करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त की खातेदारी में हो रहे पक्के निर्माण से बेदखली का आदेश पारित किये हैं, जो विधि विरुद्ध होने से निरस्तनीय है किन्तु अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 पारित किया है, जो आदेश विधि विधान एवं प्रक्रियाओं एवं नियमों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा का अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.09.2017 अपील उनवानी हरिकिशन बनाम राजस्थान सरकार व नायब तहसीलदार महवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.01.2017 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम हरिकिशन को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोंडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। उनकी ओर से किसी प्रकार की कोई लिखित बहस भी प्रस्तुत नहीं की गई है।

हमने अधिवक्ता अपीलान्त की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया जिससे विदित होता है कि पटवारी हल्का द्वारा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नम्बर 113 वाके ग्राम नयागांव के 26X8 मीटर भूमि पर पक्का कमरा व पक्का डण्डा बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिस रिपोर्ट की जाँच भू अभिलेख द्वारा की गई है। तत्पश्चात् नायब तहसीलदार महवा द्वारा अपीलार्थी को नोटिस दिये जाने पर अपीलार्थी तारीख पेशियों पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होते रहे हैं तथा अपीलार्थी द्वारा जवाब भी पेश किया गया है। ऐसे में अपीलान्त का कथन उचित नहीं है कि उनके द्वारा बिना सुनवाई का अवसर दिये ही आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर पक्का कमरा व पक्का डण्डा बनाकर अतिक्रमण किया गया है जिससे आमजन के आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है तथा अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई साक्ष्य, सबूत या दस्तोवजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये जिससे अपीलान्त के कथनों की पुष्टि होती हो। अपीलार्थी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा कर रखा है, जो अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा

निर्णय

(3)

अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त ही अपीलार्थीन आदेश दिनांक 13.09.2017 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित अपीलार्थीन आदेश दिनांक 13.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ० प्रवीण कुमार)

अति-संभागीय आयुक्त,

जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 12.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति-संभागीय आयुक्त,

जयपुर।